राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **ACSR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **ACSR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2023-24/6378412 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6378414 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **ACSR GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309117

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:47:57 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

<u>कार्यालय आदेश</u>

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **A N PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001065)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **A N PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001065)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/5442143 (SEMESTER 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6379833 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:41:00 +05:30
v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **A N PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001065)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309141

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:41:00 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी / कूटरचित / गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यूओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **AYUSHMAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001555)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **AYUSHMAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001555)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/5521830 (SEMESTER 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6320781 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा / झूंठी उद्घोषणा / कूटरचित दस्तावेज / अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी / जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20309142

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:40:28 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **AYUSHMAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001555)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309142

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:40:28 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **BALAJI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE(ETAWA BHOPJI CHOMU) (PR08001404)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **BALAJI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE(ETAWA BHOPJI CHOMU) (PR08001404)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6155771 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2023-24/6344131 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **BALAJI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE(ETAWA BHOPJI CHOMU) (PR08001404)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309144

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:39:45 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यूओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **BR Degree College Sikar**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **BR Degree College Sikar**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6136021 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-16 17:59:24 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **BR Degree College Sikar**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309212

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-16 17:59:24 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **CHANDEL PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001310)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **CHANDEL PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001310)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6354067 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2023-24/6386314 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार है:–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार है:–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:38:42 +05:30
v-1.0

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **CHANDEL PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001310)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309147

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:38:42 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **GURUKRIPA MAHAVIDYALAYA**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **GURUKRIPA MAHAVIDYALAYA**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2023-24/6385169 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6369294 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.:
20309118

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:47:21 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **GURUKRIPA MAHAVIDYALAYA**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान कोछात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309118

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:47:21 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **GURUKUL COLLEGE OF MANAGEMENTKUCHAMAN CITY, NAGAUR**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **GURUKUL COLLEGE OF MANAGEMENTKUCHAMAN CITY, NAGAUR**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतुछात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2023-24/6383365 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6337762 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **GURUKUL COLLEGE OF MANAGEMENTKUCHAMAN CITY, NAGAUR**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309119

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:46:42 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **GURUKUL POLYTECHNIC COLLEGE CHOMU**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **GURUKUL POLYTECHNIC COLLEGE CHOMU**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2024-25/6518536 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2024-25/6528961 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्‌घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्‌घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

दिनांक 06.11.2024 को विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया 2024 के बिन्दु सं 06– जिला स्तर पर संस्थान से प्राप्त ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया का उपबिन्दु 6.15 निम्नानुसार हैः

6.15– बिन्दु सं 6.10 का (द): कोर्स दोहराव/प्रोफेशनल ट्रेक बदलने/समान स्तरीय पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले प्रकरणों में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

कोर्स दोहराव संबंधीः विद्यार्थी जिसने अपनी पढाई एक चरण में पूर्ण करने पर उसी चरण में किसी अन्य विषय में पढाई करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। उदाहरणः बी.कॉम के बाद बी.ए

प्रोफेशनल ट्रेक बदलने संबंधीः विद्यार्थी जिसने अपनी पढाई एक व्यावसायिक लाईन में पूर्ण कर किसी प्रोफेशनल लाईन में कोर्स करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।उदाहरणः एलएलबी के बाद बी.एड

शिक्षण संस्थान **GURUKUL POLYTECHNIC COLLEGE CHOMU**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी अनियमित आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20395142

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-16 17:58:49 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **GURUKUL PVT ITI**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 को शिक्षण संस्थान **GURUKUL PVT ITI**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6224969 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
20309148

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:38:03 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **GURUKUL PVT ITI**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450
दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309148

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:38:03 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **IGM BSTC SCHOOL JAIPUR**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को शिक्षण संस्थान **IGM BSTC SCHOOL JAIPUR**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2024-25/6573365 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2023-24/6294741 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
20309149

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:37:32 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05. 2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **IGM BSTC SCHOOL JAIPUR**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450
दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309149

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:37:32 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **JYOTIBA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001396)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **JYOTIBA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001396)**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2022-23/5451961 (SEMESTER 1), SCHOLARSHIP/2022-23/5500282 (SEMESTER 3)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20309120

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:45:49 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **JYOTIBA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001396)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309120

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:45:49 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

<u>कार्यालय आदेश</u>

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **KISAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000213)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को एवं तत्समय अनुपस्थित रहने पर राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **KISAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000213)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/5493187 (SEMESTER 2), SCHOLARSHIP/2023-24/6318613 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध

RajKaj Ref No.: 20309150

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:36:53 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **KISAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000213)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309150

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:36:53 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **KRISHNA MAHAVIDYALAYA**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 को शिक्षण संस्थान **KRISHNA MAHAVIDYALAYA**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6335519 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.: 20309152

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:35:18 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **KRISHNA MAHAVIDYALAYA**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309152

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:35:18 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यूओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **MARIGOLD B.ED. COLLEGE, JAIPUR**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **MARIGOLD B.ED. COLLEGE, JAIPUR**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2024-25/6628649 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
20395158

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:35:41 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05. 2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

दिनांक 06.11.2024 को विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया 2024 के बिन्दु सं 06– जिला स्तर पर संस्थान से प्राप्त ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया का उपबिन्दु 6.15 निम्नानुसार हैः

6.15– बिन्दु सं 6.10 का (द): कोर्स दोहराव/प्रोफेशनल ट्रेक बदलने/समान स्तरीय पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले प्रकरणों में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

कोर्स दोहराव संबंधी: विद्यार्थी जिसने अपनी पढाई एक चरण में पूर्ण करने पर उसी चरण में किसी अन्य विषय में पढाई करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। उदाहरणः बी.कॉम के बाद बी.ए

प्रोफेशनल ट्रेक बदलने संबंधी: विद्यार्थी जिसने अपनी पढाई एक व्यावसायिक लाईन में पूर्ण कर किसी प्रोफेशनल लाईन में कोर्स करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।उदाहरणः एलएलबी के बाद बी.एड

शिक्षण संस्थान **MARIGOLD B.ED. COLLEGE, JAIPUR**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी अनियमित आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450
दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त)......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20395158

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:35:41 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **NARAYANA MEDICAL COLLEGE, NELLORE**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **NARAYANA MEDICAL COLLEGE, NELLORE**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2023-24/6365155 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6358032 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।
विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **NARAYANA MEDICAL COLLEGE, NELLORE**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हों) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309121

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:45:13 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE MEDICAL COLLEGEJABALPUR**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE MEDICAL COLLEGEJABALPUR**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2023-24/6384129 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.:
20309122

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:44:35 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE MEDICAL COLLEGEJABALPUR**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450   दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309122

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:44:35 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **ORAS PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001250)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 21.01.2026 को शिक्षण संस्थान **ORAS PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001250)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/5497783 (SEMESTER 3), SCHOLARSHIP/2023-24/6283021 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.:
20309154

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:34:29 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **ORAS PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001250)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309154

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:34:29 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **RAJ TAIGORE INSTITUTE OF MANAGEMENT**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **RAJ TAIGORE INSTITUTE OF MANAGEMENT**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2022-23/5571548 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2022-23/5575687 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20309123

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:31:06 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **RAJ TAIGORE INSTITUTE OF MANAGEMENT**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309123

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:31:06 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **RAJASTHAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000541)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को शिक्षण संस्थान **RAJASTHAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000541)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6334107 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2023-24/6328305 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20309155

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:33:38 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **RAJASTHAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000541)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309155

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:33:38 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **RAVAT COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **RAVAT COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त शिक्षण संस्थान अस्तित्व में नहीं है तथा शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

RajKaj Ref No.:
20309124

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:44:04 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **RAVAT COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309124

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:44:04 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

<u>कार्यालय आदेश</u>

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **RAVINDRA NATH TAGORE LAW COLLEGE**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **RAVINDRA NATH TAGORE LAW COLLEGE**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2023-24/6310016 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6337845 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.:
20309126

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:43:25 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **RAVINDRA NATH TAGORE LAW COLLEGE**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309126

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:43:25 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **S L B S PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001387)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने के कारण राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **S L B S PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001387)**को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा**SCHOLARSHIP/2024-25/6727898 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2024-25/6750118 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20309127

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:42:47 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **S L B S PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001387)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार असंचालित होने, कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन विभाग को अग्रेषित करने, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्थायी रूप से विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309127

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:42:47 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **SARASWATI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 को शिक्षण संस्थान **SARASWATI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6360936 (YEAR 2) , SCHOLARSHIP/2024-25/6802443 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05. 2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

दिनांक 06.11.2024 को विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया 2024 के बिन्दु सं 06– जिला स्तर पर संस्थान से प्राप्त ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया का उपबिन्दु 6.15 निम्नानुसार है:

6.15– बिन्दु सं 6.10 का (द): कोर्स दोहराव/प्रोफेशनल ट्रेक बदलने/समान स्तरीय पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले प्रकरणों में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

कोर्स दोहराव संबंधी: विद्यार्थी जिसने अपनी पढाई एक चरण में पूर्ण करने पर उसी चरण में किसी अन्य विषय में पढाई करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। उदाहरणः बी.कॉम के बाद बी.ए

प्रोफेशनल ट्रेक बदलने संबंधी: विद्यार्थी जिसने अपनी पढाई एक व्यावसायिक लाईन में पूर्ण कर किसी प्रोफेशनल लाईन में कोर्स करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।उदाहरणः एलएलबी के बाद बी.एड

शिक्षण संस्थान **SARASWATI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी अनियमित आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20395177

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:36:20 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यूओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **SHRI SHAYAM PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001334)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को शिक्षण संस्थान **SHRI SHAYAM PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001334)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6325823 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:32:59 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **SHRI SHAYAM PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001334)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड़यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309159

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:32:59 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **SWABHIMAAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001593)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 को शिक्षण संस्थान **SWABHIMAAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001593)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6320140 (YEAR 1), SCHOLARSHIP/2023-24/6258899 (YEAR 1)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **SWABHIMAAN PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08001593)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20309160

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:32:21 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **SWAMI VIVEKANAND PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000295)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 22.01.2026 को एवं तत्समय अनुपस्थित रहने पर राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **SWAMI VIVEKANAND PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000295)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/4994125 (SEMESTER 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उत्तः कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:31:41 +05:30

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **SWAMI VIVEKANAND PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000295)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
दिनांक : यथा–ई हस्ताक्षरित

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309161

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:31:41 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण विभागीय यू.ओ नोट क्रमांक **F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025**की पालना में शिक्षण संस्थान **UNNATI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000819)**को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906 दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 को शिक्षण संस्थान **UNNATI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000819)**को छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिएनिर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधिनिर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए एवं पक्ष मय दस्तावेज प्रस्तुत किया। परंतु प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2023-24/6323829 (YEAR 2), SCHOLARSHIP/2023-24/6045658 (YEAR 2)**इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार है:–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार है:–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20758441

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-16 17:57:06 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा। प्रकरण की जांच हेतु विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 14925202 दिनांक 24.04.2025 द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत विभागीय राजकाज रेफरेंस नंबर 15610453 दिनांक 30.05.2025 द्वारा द्वितीय जांच कमेटी गठित की गई जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा दिनांक 13.06.2025को प्रस्तुत की गई।

शिक्षण संस्थान **UNNATI PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE (PR08000819)**द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों(2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी की रिपोर्ट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450/ दिनांक :
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20758441

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-16 17:57:06 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

रावत कॉलेज ऑफ वेटरनरी एण्ड एनीमल साईन्स, अलवर एवं अन्य शिक्षण संस्थानो द्वारा फर्जी/कूटरचित/गलत दस्तावेजों के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर करोड़ों रुपये की फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्त करने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में आने पर मुख्य अभियुक्त ई–मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या की एसएसओ आईडी **vijay.kumar.bochlya**से छात्रवृत्ति आवेदन भरे जाने के कारण यू.ओ.नोट क्रमांक F 9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/1578, Jaipurदिनांक 20.05.2025 की पालना में शिक्षण संस्थान **विवेकानन्द प्राईवेट आई.टी.आई., मोलासर, नागौर (PR08000210)** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

विभागीय राजकाज रेफरेंस क्रमांक 19987906दिनांक 19.01.2026 द्वारा दिनांक 23.01.2026 एवं तत्समय अनुपस्थित रहने पर राजकाज रेफरेंस नंबर 20122194 दिनांक 23.01.2026 द्वारा दिनांक 27.01.2026 को शिक्षण संस्थान **विवेकानन्द प्राईवेट आई.टी.आई., मोलासर, नागौर (PR08000210)** को छात्रवृत्ति आवंटन में अनियमितता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रजिस्टर्ड ई–मेल के जरिए निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थानके प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomlyजांच करने पर सामने आया कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 एवं विभागीय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया, 2023 के बिन्दु संख्या 5.4 तथा मानक संचालन प्रक्रिया 2024 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथाSCHOLARSHIP/2022-23/5259511 (SEMESTER 2), SCHOLARSHIP/2022-23/5355496 (SEMESTER 2) इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.4 व 5.17 निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु 5.4 –संस्था की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली उद्घोषणा – ''इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक एवं अन्य समस्त प्रकार से उत्तरदायी होगी।''

2. बिन्दु 5.17 –संस्थान द्वारा अग्रेषित किये गये किसी भी छात्रवृत्ति आवेदन में यदि कोई मिथ्या डाटा/झूंठी उद्घोषणा/ कूटरचित दस्तावेज/अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी पाई जाती है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्था के संस्था प्रभारी एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त कृत्य के लिये उनके विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही (एफ.आई.आर) की जा सकेगी। उक्त संबंध में आवश्यक पॉप–अप

RajKaj Ref No.: 20309129

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:42:07 +05:30

v-1.0

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के दौरान संस्थान के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को प्रदर्शित किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2023 को जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मानक संचालन प्रक्रिया – 2023 के बिन्दु सं 5–''शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया'' के उप बिन्दु 5.18 के अनुसारगंभीर अनियमितता बरतने वाली संस्थानों को जिलाधिकारी अथवा विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं अभिशंषा के आधार पर विभागीय निर्णय उपरांत छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट/होल्ड/पेमेन्ट होल्ड किया जा सकेगा।

शिक्षण संस्थान **विवेकानन्द प्राईवेट आई.टी.आई., मोलासर, नागौर (PR08000210)** द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों (2015, 2023, 2024) की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः जांच कमेटियों की रिपोर्ट, जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट, छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की randomlyजांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः F9(4)Sch./DLO insp report/46 instt/2025-08028-8226450 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).......।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 20309129

Signed by: Lalit Kumar, Director
Date: 2026-06-18 18:42:07 +05:30

v-1.0